उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-200/2019/2884/92-2-2019-23(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 27 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि को अन्य कार्यों मे व्यय करने, अस्थाई अग्रदाय खोलने निविदा गठन की कार्यवाही, क्रिटिकल गैप्स योजना से जनपद के 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में इंवर्टर/बैट्री/ यू0पी0एस0 स्थापना हेतु कोटेशन, वाहन किराये तथा डीजल मद मे व्यय धनराशि आदि में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/2017/1047/92-2-2017-23(जांच)/ 2017, दिनांक 04.08.2017 द्वारा श्री विजय कुमार दूबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 03.11.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी के विरूद्ध निर्गत आरोप पत्र जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.05.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 05.07.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री विजय कुमार दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09.01.2019 के द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

<u>आरोप संख्या- 1</u>

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी में श्री वी0के0 दुबे द्वारा श्री ए0के0 भटनागर, सहायक अभियन्ता को दबाव में लेकर उनके नाम से चैक संख्या 480138, दिनांक 17.12.2016 रू0 1,58,076.00, चैक संख्या-480185, दिनांक 11.01.2017 रू0 49,232.00, रू0 10,000.00 दिनांक 19.01.2017, रू0 9,698.00 दिनांक 31.01.2017, रू0 9500.00 दिनांक 20.02.2017 कुल रू0 2,36,506.00 के अस्थाई अग्रदाय श्री भटनागर के नाम खोलकर अनियमित भुगतान कराया गया। श्री भटनागर द्वारा उक्त् के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराया गया कि उनको श्री दुबे द्वारा ब्लैकमेल किया गया, जो सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली 1956 मे विहित नियमों के विरूद्ध् है, जिसके लिए उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर-</u>

अपचारी अधिकारी श्री वी0के0 दुबे द्वारा याद्दाश्त के आधार पर अवगत कराया गया है कि सहायक अभियन्ता (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के द्वारा लिखित अभिकथन के आधार पर उनपर ब्लैकमेंलिंग का आरोप लगाया गया है तथा खोले गये अस्थाई एवं स्थाई अग्रदायों से श्री भटनागर द्वारा किये गये कार्यालयी शासकीय व्यय हेतु किये गये भुगतान को अनियमित बताया गया है ।

श्री भटनागर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी में कार्यरत एक मात्र सहायक अभियन्ता थे, श्री भटनागर ने प्रखण्ड झांसी में योगदान के पूर्व लगभग 35 वर्षों की विभाग में सेवा की थी। इतने अनुभवी एवं जिम्मेदार पद पर कार्य करने वाले सहायक अभियन्ता को दबाव में लेकर अथवा ब्लैकमेल करके कोई कार्य कराये जाने का आरोप लगाया जाना ही अपने आप में एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। उनके द्वारा अनुरोध पूर्वक अवगत कराया गया है कि श्री भटनागर, प्रखण्ड कार्यालय के साथ-साथ परिमण्डल कार्यालय से भी सम्बद्ध थे एवं अधीक्षण अभियन्ता के सीधे सम्पर्क में थे। अत इस स्तर से मात्र दस माह के छोटे से कार्यकाल में दबाव डालने या ब्लैकमेल करने की कोई स्थिति उत्पन्न हुयी होती तो उनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों सहित जिले स्तर पर तैनात मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी महादेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तथा मंडलीय आयुक्त महादेय को अवगत कराया गया होता, जिससे संबंधित कोई साक्ष्य आरोप पत्र के साथ संलग्न नही है बल्कि भटनागर द्वारा दिनांक रहित पत्र जो श्रीमान जॉच अधिकारी वित्त नियंत्रक, ग्रामीण

अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 को सम्बोधित है के माध्यम से दबाव डालने एवं ब्लैकमेल करने की बात लिखी गयी है, जो कदापि स्वीकार योग्य नही है, बल्कि श्री भटनागर को जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मात्र है। श्री भटनागर के नाम 10,000.00 रूपये का स्थाई अग्रदाय पी0ओ0एल0 मद तथा अन्य कार्यालयीन छुट फुट व्यय हेतु खोला गया था, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के वित्तीय नियमों के अनुकूल था एवं समस्त अभियन्त्रण विभागों में प्रचलित, स्थापित एवं विदद्यमान प्रक्रिया के अनुकूल भी था। प्रखण्ड झांसी में यह प्रक्रिया उनके योगदान से पूर्व तथा कार्यमुक्त होने के पश्चात भी प्रचलित है ।

श्री भटनागर के नाम आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये चेक संख्या-480138 दिनांक 17.12.2016 रू0 158076.00 निरस्त है, एवं इसके माध्यम से कोई भुगतान नही हुआ है। इसके अतिरिक्त चेक संख्या 480185, दिनांक 11.01.2017 रू0 49,232.00 के अस्थाई अग्रदाय का भुगतान नही हुआ है एवं चेक निरस्त है। अत स्पष्ट है कि अस्थाई अग्रदाय के माध्यम से कोई भुगतान नही किया गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है श्री भटनागर के नाम 10,000.00 रू0 के स्थाई अग्रदाय की प्रतिपूर्ति दिनांक 19.01.2017 को की गई है एवं इस इम्प्रेस्ट कैश बुक वाउचर संख्या 65, दिनांक 19.01.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.01.2017 को चेक संख्या 480193 के माध्यम से श्री भटनागर द्वारा क्रम संख्या 1 पर 4920.00 रूपये, क्रम संख्या 2 पर 4778.00 का अंकन करते हुए 9698.00 रूपये का भुगतान स्वंय को किया जाना दर्शित है तथा इसी बाउचर संख्या 65 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा 9698.00 की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु इम्प्रेस्ट कैश बुक प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त बाउचर संख्या-19 दिनांक 10.02.2017 के इम्प्रेस्ट कैश बुक एकाउन्टक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री भटनागर क्रम संख्या-1 पर श्री बी0के0 दूबे, ई0ई0 अर्थात उनको 2651.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है एवं क्रम संख्या 2 एवं 3 के माध्यम से 2104.00 एवं 5000.00 रूपये का भुगतान स्वंय को किया जाना दर्शित है साथ ही उनके द्वारा पुन 9755.00 रूपये की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्थाई अग्रदाय प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार बाउचर संख्या 109 दिनांक 31.01.2017 के माध्यम से क्रम संख्या 1 पर 5000.00 रूपये क्रम संख्या 02 पर 4500.00 रूपये कुल 9500.00 रूपये का भुगतान स्वंय को किया जाना दर्शित है एवं 9500.00 रूपये की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्थाई अग्रदाय प्रेषित किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि यदि व्यय उनके द्वारा पूर्व में किया जा चुका है तो स्थई अग्रदाय में उन्होंने स्वंय को भुगतान किया जाना स्वीकार किया है एवं जहां पर भुगतान उनको किया गया वहां पर उनसे नियमानुसार प्राप्ति रसीद लेकर उन्हें भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया है एवं तद्नुसार इम्प्रेस्ट कैश बुक लिखी गई है ।

उक्त समस्त अभिलेख जो साक्ष्य के रूप में लगाये गये है, उन्हीं के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट हो रही है लगातार श्री भटनागर द्वारा किये गये प्रतिपूर्ति जिसके द्वारा व्यय किया गया है उसी को किया जाना स्पष्ट है उल्लेखनीय है कि सहायक अभियन्ता एक जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण पद है श्री भटनागर प्रखण्ड में एक मात्र सहायक अभियन्ता थे एवं उनके नाम 10,000.00 रूपये की स्थाई अग्रदाय स्वाभाविक रूप से खोला जाना एक मात्र विकल्प था, जिससे प्रखण्ड में होने वाले छुट फुट व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती रही जो सर्वथा नियमानुकूल है सहायक अभियन्ता की यही कैशबुक होती है एवं उनके द्वारा लगातार किये जाने वाले शासकीय व्ययों का अंकन इस पर किया जाना विधिमान्य प्रक्रिया एवं विभाग के सभी प्रखण्डों में प्रचलित प्रक्रिया है ।

अत: श्री भटनागर, सहायक अभियन्ता द्वारा स्वंय की संस्तुति एवं अनुशंसा से प्राप्त चेक के माध्यम से प्राप्त धनराशि का स्वंय को तथा उन्हें सहित अन्य को किये गये शासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना सर्वथा उचित तथा नियमानुकूल है एवं किसी भी प्रकार का दबाव एवं ब्लैकमेलिंग का औचित्य नही है। श्री भटनागर द्वारा इस प्रक्रिया को माह जनवरी 2017 में 2 बार किया गया है तथा माह फरवरी 2017 में एक बार चेक प्राप्त किया गया है तथा इन चेकों का भुगतान प्राप्त कर नियमानुसार वितरण किया गया है जिससे स्पष्ट है कि निराधार असत्य एवं जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मात्र है। चूँकि सभी किये गये व्यय शासकीय व्यय है अत उत्तर प्रदेश आचरण नियमावली-1956 के उल्लंघन का लगाया गया आरोप भी निराधार है और औचित्य विहीन है।

उपरोक्त तथ्यों से अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराते हुये लगाये गये आरोप को पूर्णतया असत्य निराधार एवं मिथ्या होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना -</u>

अपचारी अधिकारी का कथन है कि श्री भटनागर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी में कार्यरत एक मात्र सहायक अभियन्ता थे, श्री भटनागर प्रखण्ड

झांसी में योगदान के पूर्व लगभग 35 वर्षों की विभाग में सेवा की थी। इतने अनुभवी एवं जिम्मेदार पद पर कार्य करने वाले सहायक अभियन्ता को दबाव में लेकर अथवा ब्लैकमेल करके कोई कार्य कराये जाने का आरोप लगाया जाना ही अपने आप में एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि श्री भटनागर प्रखण्ड कार्यालय के साथ-साथ परिमण्डल कार्यालय से भी सम्बद्ध थे एवं अधीक्षण अभियन्ता महोदय के सीधे सम्पर्क में थे। अत: इस स्तर से मात्र दस माह के छोटे से कार्यकाल में दबाव डालने या ब्लैकमेल करने की कोई स्थिति उत्पन्न हुई होती तो उनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों सहित जिला स्तर पर तैनात मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तथा मंडलीय आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया होता जिससे संबंधित कोई साक्ष्य आरोप पत्र के साथ संलग्न् नही है बल्कि श्री भटनागर द्वारा दिनांक रहित पत्र जो श्रीमान जांच अधिकारी वित्त नियंत्रक ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को सम्बोधित है के माध्यम से दबाव डालने एवं ब्लैकमेल करने की बात लिखी गयी है जो कदापि स्वीकार योग्य नही है, अपचारी अधिकारी का कथन तर्कसंगत नही है। श्री भटनागर सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक रहित पत्र जो वित्त नियंत्रक को सम्बोधित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री वी0के0 दूबे द्वारा प्रखण्ड में समस्त क्रय का कार्य अपने स्तर से स्वेच्छा से किया जाना था तथा अत्यधिक दबाव डालकर उनसे भुगतान उनके द्वारा लिखाया जाता था। इसी प्रकार अनेकानेक सामग्री का क्रय किया गया, किसी चहेती फर्मो द्वारा आपूर्ति कराई जाती थी, उनकी शीघ्र सेवानिव्रत्ति को देखते हुए उनके द्वारा ब्लैकमेल किया जाता रहा, फलस्वरूप वे अत्यधिक डिप्रेशन में पहुंच गये है लिखा गया है, श्री भटनागर सहायक अभियन्ता द्वारा पूर्व में की गई लिखित शिकायत की पुष्टि नही हो रही है।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि प्रखण्ड कार्यालय में एक मात्र सहायक अभियन्ता थे, श्री भटनागर के नाम आरोप के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये चेक संख्या-480138, दिनांक 17.12.2016 रू0 158076.00 निरस्त है, एवं इसके माध्यम से कोई भुगतान नही हुआ है। परन्तु सहायक अभियन्ता के प्रार्थना पत्र पर पहले कैशियर को सम्बोधित टिप्पणी में 146574.00 का कटिंग कर मु0 158094.00 लिखा गया है, जिसपर किसी के द्वारा कटिंग पर हस्ताक्षर नही किया गया है उक्त धनराशि की टी0आई0 खोली गयी जिसपर प्रखण्डीय लेखाधिकारी

द्वारा सहायक अभियन्ता से चार बिन्दुओं पर पृच्छा करने पर उक्त धनराशि के चेक को कैसिंल कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त चेक संख्या 480185, दिनांक 11.01.2017 रू0 49,232.00 के अस्थाई अग्रदाय का भुगतान नही हुआ है एवं चेक निरस्त है। अपचारी अधिकारी द्वारा चेक संख्या 480138 दिनांक 17.12.2016 रू0 158076.00 को प्रस्तुत किया गया है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती है परन्तु चेक संख्या-480185, दिनांक 11.01.2017 रू0 49,232.00 के अस्थाई अग्रदाय का भुगतान नही हुआ है एवं चेक निरस्त है, को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके। अपचारी अधिकारी द्वारा अस्थाई अग्रदाय श्री भटनागर सहायक अभियन्ता के नाम खोला गया है, उसके सापेक्ष भुगतान नही होने का उल्लेख किया गया परन्तु उसके साथ साक्ष्य नही दिया गया है, जिससे आरोप स्थापित होता है। उक्त धनराशि मु0 1,58,076.00 का चेक निरस्त किया गया है, जिससे भुगतान नही हुआ परन्तु यह स्पष्ट नही है कि उक्त भुगतान वैध अथवा फर्जी भुगतान करने का प्रयास था।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष -</u>

अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप स्थापित होता है ।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया-

1-जांच अधिकारी द्वारा विवेचना में एक ओर उनके बचाव उत्तर को तर्कसंगत न होने का उल्लेख किया गया तथा वहीं दूसरी ओर आरोप के साक्ष्य श्री ए0के0 भटनागर, सहायक अभियन्ता के द्वारा पूर्व में लिखित शिकायत की पुष्टि नही होने का उल्लेख किया गया है, जो परस्पर विरोधाभासी है ।

2- जांच अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में उल्लेख किया गया है कि सहायक अभियंता के प्रार्थना पत्र पर पहले कैशियर को सम्बोधित टिप्पणी में 1,46, 574.00 का कटिंग कर मु0 1,58,094.00 लिखा गया है जिस पर किसी के द्वारा कटिंग पर हस्ताक्षर नही किया गया है उक्त धनराशि की टी0आई0 खोली गयी जिसपर प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा सहायक अभियन्ता से चार बिन्दुओं पर पृच्छा करने पर उक्त धनराशि के चेक को कैसिंल कर दिया गया है। यह सर्वमान्य होना चाहिये कि जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही आरोप के साक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आरोप के साक्ष्य में रक्षित श्री भटनागर सहायक अभियन्ता द्वारा अंकन मु0 1,58,094.00 की टी0आई0 खोलने के आवेदन पत्र पर उनके

द्वारा टी0आई0 खोलने के कोई निर्देश प्रखण्डीय लेखाधिकारी/कैशियर को नही दिया गया था। श्री ए0के0 भटनागर, सहायक अभियन्ता के प्रार्थना पत्र कैशियर द्वारा टी०आई० खोलने की टिप्पणी अंकित करते हुये खण्डीय लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर खण्डीय लेखाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता के आवेदन पत्र पर 04 बिन्दु इंगित करते हुये, जिज्ञासा व्यक्त की गयी थी। संबंधित पत्र पर न तो उनका हस्ताक्षर है तथा न ही उनके द्वारा टी0आई0 खोलने का कोई निर्देश दिये जाने का उल्लेख किया गया। जांच अधिकारी ने विवेचना में टी0आई0 खोलने का उल्लेख किया गया। आरोप के साथ पठनीय साक्ष्य में टी0आई0 खोलने से संबंधित किसी पत्र को संलग्न ही नही किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि वित्तीय नियमों के अंतर्गत टी0आई0 पारित बाउचरों के सापेक्ष किया जाता है। श्री भटनागर, सहायक अभियन्ता द्वारा आवेदित टी0आई0 के सापेक्ष बाउचर उपलब्ध न कराये जाने के कारण टी0आई0 खोली ही नही गयी थी। जांच अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है, परन्तु उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिया जाना विचारणीय है। संभवत उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होने अथवा नियमों की समुचित जानकारी के अभाव में साक्ष्यों की समुचित विवेचना न करते हुये विपरीत तथ्यों का उल्लेख किया गया है ।

३- जांच अधिकारी ने अपनी विवेचना में उल्लेख किया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा चेक संख्या 480138 दि0 17.12.2016 रू0 1,58,076.00 निरस्त है को प्रस्तुत किया गया है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती है, परन्तु 480185 दि0 11.01.2017 रू0 49,232.00 के अस्थायी अग्रदाय का भुगतान नही हुआ है एवं चेक निरस्त है को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके। अपचारी अधिकारी द्वारा अस्थायी अग्रदाय श्री भटनागर सहायक अभियंता के नाम खोला गया है उसके सापेक्ष भुगतान नही होने का उल्लेख किया गया परन्तु उसके साथ साक्ष्य नही दिया गया है जिससे आरोप स्थापित होता है । उक्त के संबंध में अवगत कराया गया है कि उनके पत्र सं0-522 दि0 30.07.2018 से चाही गयी सूचना के क्रम में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड झांसी के पत्र सं0-1092 दि0 09.08.2018 से प्रेषित अभिलेख माह जनवरी, 2018 की कैशबुक के संबंधित पृष्ठ से स्पष्ट है कि उक्त चेक 480185 निरस्त चेक होने का स्पष्ट उल्लेख है ।

4- जांच अधिकारी ने अपनी विवेचना में हस्तलिखित उल्लेख किया है कि उक्त धनराशि रू0 1,58,076.00 का चेक निरस्त किया गया, जिससे भुगतान नही हुआ

परन्तु यह स्पष्ट नही है कि उक्त भुगतान वैध था अथवा फर्जी भुगतान करने का प्रयास था। इस संबंध में अवगत कराना है कि आरोप में निरस्त चैक का फर्जी भुगतान करने का प्रयास संबंधी कोई उल्लेख नही है। अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र में आरोपित आरोप में इंगित अनियमितताओं की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया था, परन्तु जांच अधिकारी द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था की ओर कोई ध्यान दिये बिना आरोप से भिन्न उक्त स्थिति का उल्लेख किया गया है, जो प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार निक्षेपित किये जाने योग्य है। यह भी अवगत कराया गया है कि जब बाउचर उनके द्वारा पारित ही नही किया गया तो फर्जी भुगतान करने का प्रयास करने का आंकलन करना सर्वथा अनुचित एवं मनगढन्त है ।

5- इस आरोप में अपचारी अधिकारी द्वारा ब्लैकमेल किया गया, जो उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम के विरूद्ध है, जिसके लिये आरोपित किया जाता है, के संबंध में आरोप स्थापित होने का निष्कर्ष दिया गया, जांच अधिकारी द्वारा आचरण नियमावली, 1956 के किस नियम का उल्लंघन किया गया, जांच अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख तक नही किया गया । संभवत जांच अधिकारी ने आचरण नियमावली, 1956 के नियमों को द्वेष भावना अथवा किसी अज्ञात कारणों से देखने की आवश्यकता ही नही समझी। उपरोक्त इंगित स्थिति तथा बिन्दु सं0-01 से 03 तक में इंगित स्थिति से स्पष्ट है कि दिया गया निष्कर्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित निष्कर्ष है जो सर्वथा अनुचित है। अपचारी अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि जांच अधिकारी जांच कार्यवाही में नियमानुसार अपेक्षित तथ्यों पर विचार न करने, जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध न कराने, मौखिक सुनवाई तथा प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान न करने तथा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यपरक कथनों को दृष्टिगत रखते हुये आरोप से मुक्त किया जाय ।

<u>आरोप संख्या- 2</u>

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रखण्ड झांसी के विकास भवन स्थित कार्यालय में श्री वी0के0 दुबे द्वारा बगैर सक्षम अधिकारी की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीक्रति प्राप्त किये रंगाई पुताई, सी०सी० कैमरे, चैनल गेट, इण्टरकाम आदि का कार्य कराया गया एवं भुगतान निर्माण कार्यों पर भारित कर किया गया, जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार निर्माण कार्य के कन्टीजेन्सी मद से उक्त कार्यों का

भुगतान अनुमन्य नही है। इस प्रकार उनके द्वारा निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय भारित किया गया, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए उनको आरोपित किया गया ।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर-</u>

अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर जो यादाद्शत के आधार पर है के द्वारा अवगत कराया है कि साक्ष्य के साथ लगाये गये आपूर्ति आदेश 2467 दिनांक 14.12.2016 में ही यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल झांसी द्वारा दिनांक 09.10.2016 को दी गयी स्वीकृति के क्रम में फर्म को आपूर्ति हेतु लिखा गया है सुलभ संदर्भ हेतु तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता श्री मो0 रिजवान साबिर द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र की प्रति बचाव उत्तर के साथ संलग्न नही किया गया है । जिसमें आवश्यकतानुसार कार्यालय में आपूर्ति लिए जाने की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया था, जिसकी प्रति सहायक अभियंता एवं संगणक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी को भी दी गयी थी।

अपचारी अधिकारी द्वारा सादर अवगत कराया गया है कि विकास भवन झांसी पूरे उत्तर प्रदेश का एक मात्र आई0एस0ओ0 प्रमाणित कार्यालय है एवं भवन में जनपद की समस्त महत्वपूर्ण समीक्षा बैठके होती है जिसमें उनके 10 माह के कार्यकाल में ही माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रीगणों सहित सूचना आयोग के अध्यक्ष सहित अतिगणमान्य विशिष्टि जनों की बैठक हुई एवं प्रत्येक शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान मुख्य विकास अधिकारी झांसी की नेतृत्व में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रखण्डीय कार्यालय विकास भवन के भूतल पर स्थित है। कार्यालय का औचक निरीक्षण भी समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। निरीक्षण के समय कार्यालय में दीवालों पर पान गुटका इत्यादि की पीक लगी हुई थी, दीवारें काफी गन्दी थी, एवं इस वजह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यालय को सुव्यवस्थित करने के निर्देशों के अनपुालन में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए रंगाई पुताई का कार्य कार्यालयी परिसर में कराया गया था। जिसकी पुष्टि तत्समय तैनात जिलाधिकारी महोदय श्री अजय कुमार शुक्ला (आई0ए0एस0) एवं तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल (आई0ए0एस0) से की जा सकती है एवं इसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता महोदय से दिनांक 9.10.2016 को प्राप्त

कर ली गयी थी तभी कार्य कराया गया था। इसी स्वीकृति के तहत आपूर्ति आदेश भी जारी किये गये थे। जैसाकि आपूर्ति आदेश में भी उल्लेख है तथा आपूर्ति आदेश की प्रति भी अधीक्षण अभियन्ता महोदय को पृष्ठांकित है। अधीक्षण अभियन्ता महोदय से प्राप्त स्वीक़ति दिनांक 09.10.2016 के क्रम में इण्टरकाम, की स्थापना समय की बचत तथा कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढाने के लिए तथा सी0सी0टी0बी0 की स्थापना अनुश्रवण तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिष्ठापित कराये गये थे ।

उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि विभाग के पास उपलब्ध कार्यों के कन्टीजेन्सी मद से कार्यालय में होने वाले छुटपुट व्यय, किराये पर चलने वाले वाहनों का किराया भुगतान तथा पी0ओ0एल0 आदि का भुगतान प्रखण्ड सहित परिमण्डल कार्यालय का भी किया जाना विभाग की एक प्रचलित एवं स्थापित प्रक्रिया है, एवं यही प्रक्रिया उनके प्रखण्ड झांसी में योगदान के पूर्व तथा प्रखण्ड झांसी से कार्यमुक्त होने के पश्चात भी प्रचलित थी/है तथा उनकी अधिकतम जानकारी एवं वर्तमान शासनादेशों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत एवं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा समस्त कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान शासन की मंशा के अनुरूप तथा प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य कराया गया था तथा उपलब्ध निर्माण कार्यों के कन्टजेन्सी मद से इसका भुगतान किया गया। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 1 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के अनुसार निर्माण कार्यों के कन्टजेन्सी मद से भुगतान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता सक्षम प्राधिकारी है, उपर्युक्त् माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन तथा शासनादेशों के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर स्वच्छता हेतु कार्यालय परिसर में कराया गया रंगाई पुताई का कार्य सर्वथा नियमानुकूल है तथा अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा स्वीकृत दरों के सापेक्ष तथा उनकी अनुमति दिनांक 9.10.2016 के क्रम में ही कृत कार्यो का भुगतान किया गया है। अत: लगाया गया आरोप उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पूर्णतया असत्य निराधार एवं निरस्त करने योग्य है। अत: अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना-</u>

अपचारी अधिकारी का कथन है कि सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता श्री रिजवान साबिर से दिनांक 09.10.2016 को अनुमति प्राप्त कर आपूर्ति आदेश 2467 दिनांक 14.12.2016 एवं 2468 दिनांक 14.12.2016 निर्गत किया गया,

जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल झांसी, द्वारा दिनांक 9.10.2016 को दी गयी स्वीकृति के क्रम में फर्म को आपूर्ति हेतु लिखा गया है सुलभ संदर्भ हेतु तत्कालीन अधीक्षण अभियंता श्री मो0 रिजवान साबिर द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न किया गया है, जिससे उनके कथन की पुष्टि होती है। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी के पत्र संख्या-91016/ग्रा0अ0वि0/आपूर्ति पत्र दिनांक 9.10.2016 जिसमें अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल झांसी को लिखा गया है, आवश्यकतानुसार कार्यालय में आपूर्ति लिए जाने की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया था, जिसकी प्रति सहायक अभियंता एवं संगणक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड झांसी को भी दी गयी थी, जिसमें यह उल्लेख है कि ई0बी0एम0 गोदाम में आपूर्ति हेतु फर्नीचर एवं सी0सी0टी0बी0 कैमरा स्थापन इत्यादि की दरें 27.09.2016 को अनुमोदित की गई थी, उक्त कार्यो के समान ही कलैक्ट्रेट परिसर झांसी में जॉच सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य सांसद निधि योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। ई0बी0एम0 गोदाम हेतु दर्शाये गये फर्नीचर की आवश्यकता जनसुविधा केन्द्र में भी है। ई0बी0एम0 गोदाम हेतु स्वीकृत दरों पर ही आवश्यकतानुसार जनसुविधा केन्द्र एवं कार्यालय में आपूर्ति के लिए अनुमति अधीक्षण अभियंता द्वारा दी गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया गया है। परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा बगैर धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये, बिना प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त हुए मात्र एलाउड किया गया जो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है उपरोक्त कारणों से उसके लिए सक्षम नही है। इस प्रकार एलाउड करने वाले श्री रिजवान अहमद भी उत्तरदायी हैं।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि विकास भवन झांसी पूरे उत्तर प्रदेश का एक मात्र आई0एस0ओ0 प्रमाणित कार्यालय है एवं भवन में जनपद कि समस्त महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होती है जिसमें उनके 10 माह के कार्यकाल में ही माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी, केन्द्रीय माननीय मंत्रीगणों सहित सूचना आयोग के अध्य सहित अतिगणमान्य विशिष्टि जनों की बैठके हुई एवं प्रत्येक शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई मुख्य विकास अधिकारी झांसी की नेतृत्व में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है । ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रखण्डीय कार्यालय विकास भवन के भूतल पर स्थित है। कार्यालय का औचक निरीक्षण भी समय समय पर पान गुटका इत्यादि

की पीक लगी हुई थी दीवारें काफी गन्दी थी, एवं इस वजह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यालय को सुव्यवस्थित करने के निर्देशों के अनुपालन में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए रंगाई पुताई का कार्य कार्यालयी परिसर में कराया गया था। जिसकी पुष्टि तत्समय तैनात जिलाधिकारी महोदय श्री अजय कुमार शुक्ला (आई0ए0एस0) एवं तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल (आई0ए0एस0) से की जा सकती है। अपचारी अधिकारी के कथन से यह आभासित होता है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यालय का सफाई कराया गया, परन्तु इसका भुगतान निर्माण कार्यों के कन्टीजेन्सी मद से किया गया इसकी अनुमति निदेशालय से लेनी चाहिए थी, जो नही लिया गया है। निदेशालय से डिमाण्ड भी नही किया गया है। विकास भवन में रंगाई पुताई एवं क्चर मरम्मत के लिए धनराशि जांच अधिकारी के जानकारी के अनुसार डी0डी0ओ0 कार्यालय/सी0डी0ओ0 कार्यालय को आवंटन होता है। उनसे मांग करनी चाहिए थी, अपचारी अधिकारी का कथन है कि पान गुटका का पीक आदि से दीवार खराब हो गयी थी जिसकी रंगाई पुताई करना आवश्यक था दीवार पर एक स्तर तक पानी एवं गुटका का पीक रहता है उसके साफ सफाई के लिए अधिकारी के स्तर पर उचित होता है। वित्तीय अनियमितता से बचते हुए कर्मचारी अधिकारी अपने स्तर पर स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए था। अपचारी अधिकारी द्वारा मनमर्जी से कार्यालय एवं शासकीय भवन की रंगाई पुताई वर्क की कन्टीजेन्सी से की गयी है, जबकि वर्क की कन्टीजेन्सी जिस कार्य के लिए होती है उसी के छोटेमोटे कार्यो पर व्यय करने के लिए होती है ।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के अनुसार निर्माण कार्यों के कन्टीजेन्सी मद से भुगतान करने के लिए अधिशासी अभियन्ता सक्षम प्राधिकारी है। अपचारी अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के किस प्रस्तर के अनुसार सक्षम अधिकारी है, को प्रस्तुत नही किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के किसी प्रकार का व्यय नही करना चाहिए था।

अपचारी अधिकारी अनियमित व्यय भारित करने के लिए आंशिक रूप से जिममेदार है उनको निदेशालय ये बजट प्राप्त कर कार्यालय मद मे धनराशि प्राप्त कर व्यय करना चाहिए था ।

<u>जांच का निष्कर्ष:-</u> अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-</u>

जांच अधिकारी ने जांच आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया है कि सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, श्री रिजवान साविर से दिनांक 09.10.2016 को अनुमति प्राप्त कर आपूर्ति आदेश सं0 2467, दिनांक 14.12.2016 एवं पत्रांक-2468, दिनांक 14.12.2016 निर्गत किया गया, जिसमें ही यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी परिमण्डल-झांसी द्वारा दिनांक 09.10.2016 को दी गयी स्वीकृति के क्रम मे फर्म को आपूर्ति हेतु लिखा गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया गया है। जांच अधिकारी ने अपनी विवेचना में वही दूसरी ओर यह भी उल्लेख किया है कि परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा बगैर धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये, बिना प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त हुये मात्र एलाउड किया गया जो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है उपरोक्त कारणों से उसके लिये सक्षम नहीं है।

जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या की विवेचना में यह भी उल्लेख किया है कि "प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यालय की सफाई कराया गया किन्तु इसका भुगतान निर्माण कार्यों के कन्टीजेन्सी मद से किया गया, इसकी अनुमति निदेशालय से लेनी चाहिये थी जो नही लिया गया है। जांच अधिकारी ने जांच आख्या की विवेचना में यह भी इंगित किया गया है कि वित्तीय अनियमितता से बचते हुये कर्मचारी अधिकारी अपने स्तर पर स्वच्छता के लिये व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिये था। अपचारी अधिकारी द्वारा मनमर्जी से कार्यालय एवं शासकीय भवन की रंगाई पुताई वर्क की कन्टीजेन्सी से की गयी है जबकि वर्क की कन्टीजेन्सी जिस कार्य के लिये होती है उसी के छोटे मोटे कार्यों पर व्यय करने के लिये होती है। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के किसी प्रकार का व्यय नही करना चाहिये था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी की जांच आख्या की विवेचना में एक ओर अधीक्षण अभियन्ता को सक्षम अधिकारी होने का उल्लेख किया है, वही दूसरी ओर अधीक्षण अभियन्ता को सक्षम अधिकारी न होने का भी उल्लेख किया गया है। पुन: विवेचना में कार्यों के कन्टीजेन्सी मद से भुगतान की अनुमति निदेशालय से लेने का उल्लेख किया है। जांच अधिकारी द्वारा की गयी विवेचना से यह आभासित होता है कि जांच अधिकारी को संभवत: कन्टीजेन्सी मद से व्यय करने की स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम अधिकारी कौन निर्धारित है, इसकी

जानकारी नही है, जिसके कारण एक ही आरोप की विवेचना में अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग अधिकारी को सक्षम होने का उल्लेख किया गया है। जहां तक अपचारी अधिकारी को जानकारी है वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के प्रस्तर 704 एवं 705 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-153 तथा शासनादेश सं0-ए-2-3407/दस-85, दिनांक 09.12.1985 के क्रमांक 6 के अनुसार उक्त अधिकार अधिशासी अभियन्ता को 10000.00 की सीमा तक तथा अधीक्षण अभियन्ताओं को पूर्ण अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी की अनुमति से कन्टेजेन्सी मद से किया गया व्यय सर्वथा नियमानुकूल है।

अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के परिदृश्य में कन्टीजेन्सी मद से किये गये व्यय सक्षम अधिकारी के अनुमति से किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए आरोप मुकत् किये जाने का उल्लेख किया है।

<u>आरोप संख्या- 3</u>

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी में श्री वी0के0 दुबे द्वारा जीप संख्या-यूपी-32 ईवी-7020 किराये पर शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु रखी गयी थी, जिसमें डीजल पर व्यय बाउचरों में से कुछ बाउचरों की लागबुक में इन्ट्री नही की गयी, जैसा कि संलग्न बाउचर से स्पष्ट है, बाउचरों की लाग बुक में इन्ट्री न होने के बावजूद भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता है। उक्त वाहन प्रखण्ड-झांसी के निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये किराये पर लिया गया था, परन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर उक्त वाहन को लखनऊ एवं इलाहाबाद ले जाया गया, जिसकी पुष्टि लखनऊ एवं इलाहाबाद के डीजल के बाउचरों से होती है, जिससे स्पष्ट है कि शासकीय कार्य हेतु किराये पर लिये गये वाहन का दुरूपयोग एवं उक्त वाहन पर अनुचित व्यय उनके द्वारा किया गया, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर-</u>

आरोप संख्या-3 के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा याददाश्त के आधार पर अवगत कराया गया है कि बाउचरों को लॉगबुक में इन्ट्री की गयी है जैसा कि साक्ष्य संख्या बाउचर सं0-16340 दि0 10-11-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज 36 पर साक्ष्य सं0-5 बाउचर संख्या-16434 दि0 13-11-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-37 पर साक्ष्य सं0-4 बाउचर संख्या-17929 दि0 11-12-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-43 पर साक्ष्य सं0-3 बाउचर सं0-15747 दिनांक 02-11-2016

की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-35 पर दर्ज की गयी है जिससे स्पष्ट है कि नियमानुसार डीजल खपत के बाउचरों की इन्ट्री लॉगबुक में दर्ज है जो सर्वथा वित्तीय नियमों के अनुकूल है इन सभी बाउचरों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पेड वाई मी लिखकर सहायक अभियंता, श्री भटनागर द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि सहायक अभियंता के साथ इलाहाबाद एवं लखनऊ के लिये की गयी यात्रायें शासकीय कार्यो हेतु की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में है एवं निदेशालय तथा मुख्य अभियंता (प0क्षे0) कार्यालय लखनऊ में स्थित होने के फलस्वरूप अत्यन्त अल्प सूचना पर आवश्यक प्रकरण में यात्रायें करनी होती है। अल्प सूचना पर रेलवे का आरक्षण प्राप्त होना संभव न होने पर शासकीय सम्बद्ध वाहन से राजकीय कार्यो हेतु सहायक अभियंता के साथ यात्रायें की गयी है। प्रदेश की सीमा में राजकीय कार्यवश सम्बद्ध वाहन से यात्रा किये जाने पर कोई प्रतिबंध नही है।

माह नवम्बर, 2016 में अम्बावाय में होमगार्ड विभाग का परिसर निर्माण 11.60 करोड के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश तथा माह दिसम्बर, 2016 में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा जनपद झांसी के कार्यालयों में दिव्यांग जनो की सुविधा हेतु रैम्प तथा शौचालय निर्माण के आगणन प्राप्त/प्रस्तुत करने हेतु उच्चाधिकारियों के आदेश पर सहायक अभियंता के साथ लखनऊ की यात्रा की गयी एवं वाहन का प्रयोग राजकीय यात्राओं हेतु किये जाने के कारण इसे कदापि वाहन का दुरूपयोग नहीं कहा जा सकता एवं इलाहाबाद की यात्रा मा0 उच्च न्यायालय में रायल्टी के संबंध में चल रहे वाद की पैरवी हेतु यात्रा की गयी है, जो सर्वथा राजकीय हित में होने के साथ-साथ अनिवार्य तथा समबयद्ध है। उपरोक्त के संबंध में सादर अवगत कराया गया है कि इन सभी यात्राओं में प्रखण्ड के कार्यरत एक मात्र सहायक अभियंता उनके साथ रहे है, ये यात्रायें उच्चाधिकारियों के आदेश तथा निर्देश पर ही व्यापक राजकीय हित में अनिवार्य तथा अपरिहार्य स्थिति होने पर ही की गयी है। समय-सीमा को ध्यान में रखकर तथा दो अधिकारियों के एक साथ भ्रमण पर होने के फलस्वरूप यात्रा व्यय में प्रखण्ड-झांसी से सम्बद्ध वाहन से उपरोक्त यात्रायें करने पर शासकीय धन तथा समय दोनो की बचत हुई है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप संख्या-3 के संबंध में अवगत कराया गया है कि बाउचरों को लॉगबुक में इन्ट्री की गयी है, जैसा कि साक्ष्य संख्या बाउचर संख्या-16340 दि0 10-11-16 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज-36 पर, साक्ष्य सं0-5 बाउचर

सं0-16434 दि0 13-11-16 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-37 पर, साक्ष्य सं0-4 बाउचर संख्या-17929 दिनांक 11-12-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-43 पर, साक्ष्य सं0-3 बाउचर सं0-15747 दिनांक 02-11-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-35 पर दर्ज की गयी है जिससे स्पष्ट है कि नियमानुसार डीजल खपत के बाउचरों की इन्ट्री लॉगबुक में दर्ज है जो सर्वथा वित्तीय नियमों के अनुकूल है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में लॉगबुक के पेज की छायाप्रति अपने बचाव के साथ प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके। अपचारी अधिकारी द्वारा बाउचर सं0-6212 दि0 20-08-2016।

2- बाउचर संख्या-17644 दि0 01-12-2016 को लॉगबुक में इन्ट्री होने के संबंध में कोई टिप्पणी नही की गयी है।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि सभी बाउचरों पर पेड वाई मी लिखकर सहायक अभियंता, श्री भटनागर द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि सहायक अभियंता के साथ इलाहाबाद एवं लखनऊ के लिये की गयी यात्रायें शासकीय कार्यो हेतु की गयी है। बाउचरों के भुगतान से यह विदित होता है कि सहायक अभियंता द्वारा पेड वाई मी करके भुगतान किया गया है परन्तु यात्रायें एक साथ की गयी है की पुष्टि नही हो रही है। अधिशासी अभियंता को अपना वास्तविक भ्रमण कार्यक्रम अधीक्षण अभियंता से अनुमोदित कराकर बचाव पक्ष में प्रस्तुत करना चाहिए था जो नही किया गया है।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में है एवं निदेशालय तथा मुख्य अभियंता (प0क्षे0) कार्यालय लखनऊ में स्थित होने के फलस्वरूप अत्यन्त अल्प सूचना पर आवश्यक प्रकरण में यात्रायें करनी होती है। अल्प सूचना पर रेलवे का आरक्षण प्राप्त होना संभव न होने पर शासकीय सम्बद्ध वाहन से राजकीय कार्यो हेतु सहायक अभियंता के साथ यात्रायें की गयी है। प्रदेश की सीमा में राजकीय कार्यवश सम्बद्ध वाहन से यात्रा किये जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। अपचारी अधिकारी द्वारा जो यात्रायें की गयी उसके साथ जो कारण का उल्लेख किया गया है उसके साथ मा0 उच्च न्यायालय के किस प्रकरण में गये है पत्र की छायाप्रति तथा निदेशालय के बैठक में बुलाये जाने से संबंधित साक्ष्य/पत्र नहीं लगाया गया है।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष -</u>

अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विवेचना में बाउचर सं0-16340 दि0 10-11-16 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज-36 पर, साक्ष्य सं0-5 बाउचर सं0-16434 दि0 13-11-16 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-37 पर, साक्ष्य सं0-4 बाउचर संख्या-17929 दिनांक 11-12-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-43 पर, साक्ष्य सं0-3 बाउचर सं0-15747 दिनांक 02-11-2016 की इन्ट्री लॉगबुक के पेज सं0-35 पर दर्ज की गयी है जिससे स्पष्ट है कि नियमानुसार डीजल खपत के बाउचरों की इन्ट्री लॉगबुक में दर्ज है जो सर्वथा वित्तीय नियमों के अनुकूल होने का उल्लेख किया गया है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। विवेचना में इंगित बाउचर सं0-6212 दि0 20-08-2016 एवं बाउचर सं0-17644 दि0 01-12-2016 को लॉगबुक में इ होने के संबंध में कोई टिप्पणी नही करने के संबंध में अवगत कराया है कि उक्त दोनो बाउचर लॉगबुक में एन्ट्री है।

जांच अधिकारी के विवेचना में इंगित अंश- "अपचारी अधिकारी का कथन है कि सभी बाउचरों पर पेड वाई मी लिखकर सहायक अभियंता, श्री भटनागर द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि सहायक अभियंता के साथ इलाहाबाद एवं लखनऊ के लिये की गयी यात्रायें शासकीय कार्यो हेतु की गयी है। बाउचरों के भुगतान से यह विदित होता है कि सहायक अभियंता द्वारा पेड वाई मी करके भुगतान किया गया है, परन्तु यात्रायें एक साथ की गयी है, की पुष्टि नही हो रही है। अधिशासी अभियंता को अपना वास्तविक भ्रमण कार्यक्रम अधीक्षण अभियंता से अनुमोदित कराकर बचाव पक्ष में प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नही किया गया है।" विवेचना में इंगित उक्त अंश आरोप से संबंधित बिन्दु नही है।

जांच अधिकारी ने विवेचना में इंगित किया है कि "अपचारी अधिकारी का कथन है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में है एवं निदेशालय तथा मुख्य अभियंता (प0क्षे0) कार्यालय लखनऊ में स्थित होने के फलस्वरूप अत्यन्त अल्प सूचना पर आवश्यक प्रकरण में यात्रायें करनी होती है। अल्प सूचना पर रेलवे का आरक्षण प्राप्त होना संभव न होने पर शासकीय सम्बद्ध वाहन से राजकीय कार्यो हेतु सहायक अभियंता के साथ यात्रायें की गयी है। प्रदेश की सीमा में राजकीय कार्यवश सम्बद्ध वाहन से यात्रा किये जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। अपचारी अधिकारी का कथन औचित्यपूर्ण है। अपचारी अधिकारी द्वारा जो यात्रायें की गयी उसके साथ जो कारण का उल्लेख किया गया है उसके साथ मा0 उच्च न्यायालय के किस प्रकरण में गये है पत्र की छायाप्रति तथा निदेशालय के बैठक में बुलाये जाने से संबंधित

साक्ष्य/पत्र नहीं लगाया गया है।" जॉच अधिकारी ने बचाव उत्तर में इंगित स्थिति को औचित्यपूर्ण होना इंगित किया है परन्तु संबंधित पत्र न लगाये जाने के कारण आरोप स्थापित होने का निष्कर्ष दिया गया है। रायल्टी में इलाहाबाद में याचिका योजित होने तथा उसमें पैरवी करने की पुष्टि स्वरूप अधिशासी अभियंता झांसी के पत्र सं0-1092 दि0 09-08-2018 की प्रति संलग्नकर अवगत कराया गया है कि झांसी प्रखण्ड में उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप 36 करोड रू0 का बजट आवंटन प्राप्त हुआ था जिसको प्राप्त करने हेतु अथक प्रयास के तहत लखनऊ यात्रा करना पड़ता था। कई यात्रायें ऐसी होती थी जो मात्र दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ही करना पडता था। अम्बा वाय में होमगार्ड विभाग तथा दिव्यांग/विकलांगजनों हेतु रैम्प का निर्माण के संबंधी कार्य हेतु निदेशालय द्वारा संबंधित विभाग से सम्पर्क करके प्राक्कलन तत्काल उपलब्ध कराने के दूरभाष एवं लिखित दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ यात्रायें की गयी।

जॉच अधिकारी द्वारा अभिलेखों के अभाव में की गयी विवेचना एवं दिये गये निष्कर्ष संबंधित अभिलेखों के परिदृश्य में प्रभावहीन होने के कारण आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया है।

<u>आरोप संख्या- 4</u>

श्री दूबे द्वारा निविदा सूचना संख्या-07, दिनांक 10.08.2016 में 25 कार्यों की निविदा, सूचना संख्या-08, दिनांक 26.08.2016 में 14 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-10, दिनांक 26.09.2016 में 13 कार्यों की, निवदिा सूचना संख्या-11, दिनांक 26.09.2016 में 36 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-12, दिनांक 27.09.2016 में 23 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-13, दिनांक 06.10.2016 में 24 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-14, दिनांक 25.10.2016 में 17 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-15, दिनांक 05.11.2016 में 20 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-16 दिनांक 21.11.2016 में 25 कार्यों की, निविदा सूचना संख्या-17, दिनांक 29.11.2016 में 8 कार्यों की एवं निविदा सूचना संख्या-18, दिनांक 09.12.2016 में 19 कार्यो की निविदा बिना प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के आमन्त्रित की गयी, जो उनके मनमाने ढंग से कार्य करने का परिचायक है। अत: उनको बिना वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के उपर्युक्त निविदायें आमन्त्रित करने, स्वेच्छाचारी ढंग से शासकीय कार्य करने के लिए आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा याददाश्त के आधार पर अवगत कराया गया है कि जनपद में लगातार हो रही समीक्षा बैठकों में मॉगे जाने वाले आगणनों के सापेक्ष निविदा प्रक्रिया आचार संहिता के पूर्व कर लिये जाने के निर्देश प्राप्त हो रहे थे तथा निविदा प्रक्रिया के दौरान ही लगभग सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो गयी, विधायक निधि, सांसद निधि एवं बुन्देल खण्ड विकास निधि (जिलांश) में 2 किश्तों में धनराशि निर्गत की जाती है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा0 जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर आंगणन प्रेषित किये जाने के बाद लगभग 30 से 45 दिन का समय प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने में लग जाता है एवं मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा/प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित होने पर जिलाधिकारी महोदय तथा मुख्य विकास अधिकारी, झांसी के निर्देशों के अनुसार समय की बचत किये जाने के दृष्टिकोण से निविदायें नियमानुसार आमंत्रित की गयी। सभी निविदा सूचनाओं में (धनांवटन की प्रत्याशा में) टिप्पणी अंकित है तथा शर्त संख्या-21 एवं 22 में एक या समस्त निविदाओं की निरस्त करने तथा आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा व लागत में वृद्धि या कमी होने की सूचना निविदा में दी गयी थी समस्त निविदा सूचनाओं की प्रति उच्चाधिकारियों तथा आयुक्त महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय सहित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उनके निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित भी की गयी थी। उल्लेख किया गया है कि विधायक निधि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, सांसद निधि की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान की जाती है। अतः निविदा नियमानुसार आमंत्रित करते हुये उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आमंत्रित निविदाओं की प्रति उनकी (प्रशासनिक/वित्तीय) स्वीकृति प्रदान करने वाले एवं विभागीय अधिकारियों की सेवा में भी पृष्ठांकित की गयी थी।

निविदा सूचना में (धनांवटन की प्रत्याशा में) स्पष्ट रूप अंकित किया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ निविदायें/सूचनायें अधीक्षण अभियंता तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता (मानीटरिंग सेल) को हमेशा संतोषजनक पाया गया, एवं कभी भी कोई विपरीत टिप्पणी नही की गयी, उल्लेखनीय है कि धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित सभी कार्यों पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निविदा प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त हो गयी। तदानुसार आंगणन के अनुसार सहायक अभियंता द्वारा

बिल आफ क्वांटिटी निविदा बिक्री की तिथि के पूर्व उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका।

अत: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्यो को ससमय प्रारम्भ कराये जाने के उददेश्य (धनावंटन की प्रत्याशा में) टिप्पणी अंकित करते हुये निविदायें आमंत्रित की गयी एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता नही की गयी बल्कि पूर्ण निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुये विधिपूर्वक उच्चाधिकारियों की मंशानुसार तथा निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया के समान्तर निविदा प्रक्रिया भी विधिपूर्वक व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ की गयी जो व्यापक जनहित, राजकीय हित तथा विभागीय हित में ही है। अत: लगाया गया आरोप मिथ्या, तथ्यविहीन तथा निराधार है एवं निरस्त करने योग्य अपचारी अधिकारी द्वारा बताया गया है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना-</u>

अपचारी अधिकारी का कथन है कि जनपद में लागातार हो रही समीक्षा बैठकों में मॉगे जाने वाले आगणनों के सापेक्ष निविदा प्रक्रिया आचार संहिता के पूर्व कर लिये जाने के निर्देश प्राप्त हो रहे थे, परन्तु जो निर्देश प्राप्त हुए है उसकी प्रति बचाव उत्तर के साथ नही प्रस्तुत किया गया अपचारी का कथन अधारहीन है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान ही लगभग सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियॉ प्राप्त हो गयी, विधायक निधि, सांसद निधि एवं बुन्देल खण्ड विकास निधि (जिलांश) में 2 किश्तों में धनराशि निर्गत की जाती है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है इसलिये मान्य नही है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मा0 जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर आंगणन प्रेषित किये जाने के बाद लगभग 30 से 45 दिन का समय प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने में करने मे लग जाता है। आरोप में निविदा 10-08-2016 को प्रथम निविदा आमंत्रित की गयी तथा लगातार कुछ समय अन्तराल में माह दिसम्बर में अंतिम निविदा सूचना 18 दि0 09-12-2016 को आमंत्रित किया गया है। माह अगस्त से दिसम्बर तक कोई प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही हुई, सभी एक ही प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा/प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित होने पर जिलाधिकारी महोदय तथा मुख्य विकास अधिकारी, झांसी के निर्देशों के अनुसार समय की बचत किये जाने के

दृष्टिकोण से निविदायें नियमानुसार आमंत्रित की गयी। सभी निविदा सूचनाओं में (धनांवटन की प्रत्याशा में) टिप्पणी अंकित है तथा शर्त संख्या-21 एवं 22 में एक या समस्त निविदाओं की निरस्त करने तथा आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा व लागत में वृद्धि या कमी होने की सूचना निविदा में दी गयी थी समस्त निविदा सूचनाओं की प्रति उच्चाधिकारियों तथा आयुक्त महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय सहित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उनके निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित भी की गयी थी। उल्लेखनीय है कि विधायक निधि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, सांसद निधि की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान की जाती है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि निविदा नियमानुसार आमंत्रित करते हुये उच्चधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आमंत्रित निविदाओं की प्रति उनकी (प्रशासनिक/वित्तीय) स्वीकृति प्रदान करने वाले एवं विभागीय अधिकारियों की सेवा में भी पृष्ठांकित की गयी थी। नियमानुसार बिना प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के निविदा आमंत्रित नही करना चाहिए था एवं धनराशि उपलब्धता सुनिश्चित किये निविदा आमंत्रित की गयी जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के विपरीत है।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि निविदा सूचना में (धनांवटन की प्रत्याशा में) स्पष्ट रूप अंकित किया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ निविदायें/ सूचनायें अधीक्षण अभियंता तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता (मानीटरिंग सेल) को भी प्रेषित की गयी, किन्तु उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया को हमेशा संतोषजनक पाया गया, एवं कभी भी कोई विपरीत टिप्पणी नही की गयी, अपचारी अधिकारी का कथन है कि धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित सभी कार्यो पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निविदा प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त हो गयी। तदानुसार आंगणन के अनुसार सहायक अभियंता द्वारा बिल आफ क्वांटिटी निविदा बिक्री की तिथि के पूर्व उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका।

अत: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्यो को ससमय प्रारम्भ कराये जाने के उददेश्य (धनावंटन की प्रत्याशा में) टिप्पणी अंकित करते हुये निविदायें आमंत्रित की गयी एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता नही की गयी, बल्कि पूर्ण निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुये विधिपूर्वक उच्चाधिकारियों की मंशानुसार तथा निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया के

समान्तर निविदा प्रक्रिया भी विधिपूर्वक व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ की गयी जो व्यापक जनहित, राजकीय हित तथा विभागीय हित में ही है। अपचारी अधिकारी का कथन सही है कि निविदा नोटिस की प्रति उच्चाधिकारियों को दी गयी है धनराशि के आवंटन विभाग को कब प्राप्त हुआ है तथा कब कार्य प्रारम्भ हुआ का उल्लेख नही किया गया है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है इसलिये अपचारी अधिकारी की दलील स्वीकार नही है। नियमानुसार बिना प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के बाद ही निविदा आमंत्रित नही करना चाहिए था, जो नही किया गया है।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष -</u>

अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यवेदन मे निम्न बिन्दुओं का उललेख किया गया है :-

1- आरोप एवं आरोप के साक्ष्य के साथ-साथ जांच अधिकारी द्वारा की गयी विवेचना में कहीं पर भी यह उल्लेख नही किया गया कि किस वित्तीय नियमों के अंतर्गत धनावंटन के बिना निविदा आमंत्रित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आता है। अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लेख किया है कि जहां तक जानकारी है कि वित्तीय नियमों के अंतर्गत धनावंटन से पूर्व अनुबंध गठित न करने का वित्तीय नियमों में प्राविधान किया गया है।

2- वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने की जिला प्रशासन द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर निविदा आमंत्रित किया गया था, जिससे की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अनुबंध गठन एवं कार्य प्रारम्भ कराने में लगने वाले 30 से 45 दिन का समय का बचत हो सके। यह भी अवगत कराया है कि बिना वित्तीय स्वीकृति एवं धनावंटन के नियम विरूद्ध रूप से किसी भी कार्य का अनुबंध गठित नही किया गया था। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अनुबध गठित किया गया। वित्तीय स्वीकृति एवं धनांवटन से पत्र की प्रति प्रेषित करते हुये स्फ्ट है कि कोई जबावदेही एवं देनदारियां सृजित नही की गयी।

3- आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष समस्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16-11-2016 को प्राप्त हो गयी थी।

अत: जांच अधिकारी द्वारा धनावंटन प्राप्त होने का साक्ष्य संलग्न न किये जाने के कारण आरोप स्थापित होने का निष्कर्ष दिया गया। आमंत्रित निविदाओं के

सापेक्ष संलग्नक में रक्षित वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप धनावंटन होने तथा धनावंटन के उपरांत अनुबंध गठित किये जाने को देखते हुये स्थापित आरोप स्वत: निष्प्रभावी हो जाता है। अत: अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>आरोप संख्या- 5</u>

राजस्व विभाग द्वारा जनपद झांसी में 3 तहसीलों में सुद्रढीकरण के कार्य हेतु शासन द्वारा 40.00-40.00 लाख रू0 आवंटित किये गये, जिसके लिये निविदा सूचना संख्या-19, दिनांक 13.12.2016 द्वारा जनपद झांसी के तहसील मोंठ, मउरानीपुर एवं गरौठा में भवन की मरम्मत एवं अवस्थापना सुविधाकार्य हेतु क्रमश 40.00 लाख, एवं 39.99 लाख एवं 39.67 लाख की निविदाऐं श्री दुबे द्वारा आमंत्रित की गयी, परन्तु बिल आफ क्वांटिटी काफी कम लागत अर्थात रू0 22.39 लाख, रू0 32.38 लाख, एवं रू0 20.84 लाख की प्रसारित की गयी, जो विभागीय नियमों/ शासनादेशों के विपरीत है, जिसके लिये श्री दुबे को आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का उत्तर-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा याददाश्त के आधार पर अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग झांसी की 3 तहसीलों, मोंठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा में भवन की मरम्मत तथा सुदृढीकरण का कार्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत करते समय ही तत्काल निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। तद्नुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष तहसील मोंठ के लिए 40.00 लाख तहसील मऊरानीपुर के लिये 39.99 लाख तथा गरौठा के लिऐ 39.67 लाख की निविदायें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आमंत्रित की गयी।

सहायक अभियंता को स्थलीय सर्वेक्षण कराकर विस्तृत आंगणन गठित करते हुये निविदा बिक्री की निर्धारित तिथि के पूर्व बिल आफ क्वान्टिटी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। आंगणन गठन के समय संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जर्जर विद्युतीकरण लाइन बदलने का कार्य, खराब पंखों तथा टयूबलाईट इत्यादि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आंगणन में लेने हेतु कहा गया एवं जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश था कि संबंधित उपजिलाधिकारियों की अनुसंशा/प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाये, ऐसी स्थिति में आमंत्रित निविदा लागत के सापेक्ष सिविल कार्यो की बिल आफ क्वान्टिटी ही सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गयी बिल आफ क्वान्टिटी में इलेक्ट्रिकल कार्यो का प्राविधान सिविल ठेकेदारों की इलेक्ट्रिकल का कार्य कराने की पात्रता न होने के

कारण इन कार्यो को सहायक अभियंता द्वारा सम्मिलित नही किया। फलस्वरूप तहसील मोंठ में सिविल कार्य की आगणित लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार रू0 22.39 लाख तहसील मऊरानीपुर में सिविल कार्यो की लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार 32.38 लाख एवं गरौठा में सिविल कार्यो की लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार 20.84 लाख ही रह गई, किन्तु निविदा सूचना की शर्त संख्या-21 एवं 22 के अनुसार कार्य की मात्रा तथा लागत घट या बढ सकती है स्पष्ट रूप से अंकित था। निविदायें आमंत्रित की गयी किन्तु स्थलीय निरीक्षण एवं संबंधित उपजिलाधिकारियों की प्राथमिकता में जितनी मात्रा में सिविल कार्य से अलग धनराशि का विस्तृत आंगणन में प्राविधान किया गया एवं जिस कार्य को करने की पात्रता सिविल फर्म/ठेकेदार नही रखते थे उन्हें बिल आफ क्वान्टिटी में समाहित नही किया गया, जिससे आमंत्रित निविदा लागत एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आंगणन के सापेक्ष प्रस्तुत बिल आफ क्वान्टिटी की लागत में अंतर परिलक्षित हुआ जो निविदा शर्तो में अंकित था।

इस प्रकार नियमानुसार ही निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने के उददेश्य से सिविल ठेकेदारों के लिए ही निविदायें आमंत्रित किये जाने के कारण सिविल कार्य को ही बिल आफ क्वान्टीटी में सम्मिलित करने के फलस्वरूप बिल आफ क्वान्टिटी एवं निविदा की लागत में अन्तर परिलक्षित हुआ है जो पूर्णतया नियमानुसार एवं तर्कसंगत भी है। अत: लगाया गया आरोप मिथ्या निराधार तथा अनौचित्यपूर्ण होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा याददाश्त के आधार पर अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग झांसी की 3 तहसीलों, मोंठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा में भवन की मरम्मत तथा सुदृढीकरण का कार्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत करते समय ही तत्काल निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये तदानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष तहसील मोंठ के लिए 40.00 लाख तहसील मऊरानीपुर के लिये 39.99 लाख तथा गरौठा के लिऐ 39.67 लाख की निविदायें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आमंत्रित की गयी। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में जिलाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, जिसमें निर्देश देने संबंधित आलेख्य लगा हो जिसमें विद्युतीकरण करने या पंखा इत्यादि लगाये जाने पर 50 प्रतिशत से अधिक व्यय करने का निर्देश दिया गया है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि सहायक अभियंता को स्थलीय सर्वेक्षण कराकर

विस्तृत आंगणन गठित करते हुये निविदा बिक्री की निर्धारित तिथि के पूर्व बिल आफ क्वान्टिटी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। बचाव पक्ष में पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो प्रस्तुत नही किया गया है क्या निर्देश उनके द्वारा सहायक अभियंता को दिया गया, साक्ष्य के अभाव में नही माना जा सकता है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि आंगणन गठन के समय संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जर्जर विद्युतीकरण लाइन बदलने का कार्य, खराब पंखों तथा टयूबलाईट इत्यादि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आंगणन में लेने हेतु कहा गया एवं जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश था कि संबंधित उपजिलाधिकारियों की अनुसंशा/प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाये ऐसी स्थिति में आमंत्रित निविदा लागत के सापेक्ष सिविल कार्यो की बिल आफ क्वान्टिटी ही सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गयी बिल आफ क्वान्टिटी में इलेक्ट्रिकल कार्यो का प्राविधान सिविल ठेकेदारों की इलेक्ट्रिकल का कार्य कराने की पात्रता न होने के कारण इन कार्यो को सहायक अभियंता द्वारा सम्मिलित नही किया। अपचारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत आंगणन की प्रति अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत नही किया गया है। अपचारी अधिकारी का कथन है कि तहसील मोंठ में सिविल कार्य की आगणित लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार रू0 22.39 लाख तहसील मऊरानीपुर में सिविल कार्यो की लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार 32.38 लाख एवं गरौठा में सिविल कार्यो की लागत बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार 20.84 लाख ही रह गई, किन्तु निविदा सूचना की शर्त संख्या-21 एवं 22 के अनुसार कार्य की मात्रा तथा लागत घट या बढ सकती है स्पष्ट रूप से अंकित था। इससे अपचारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नही बच सकते है। अपचारी अधिकारी का यह कथन स्वीकार योग्य है कि सिविल एवं इलेक्ट्रिकल का कार्य अलग-अलग होने से बिल आफ क्वान्टिटी कम हो गयी, परन्तु दोनो की बिल आफ क्वान्टिटी प्रस्तुत करनी चाहिये थी।

अपचारी अधिकारी का कथन है कि निविदा सूचना में धरोहर धनराशि लागत के 5 प्रतिशत के हिसाब से मांगी गयी थी तथा निविदा का मूल्य भी निविदा में अंकित धनराशि के अनुसार रखा गया था जिससे शासन/विभाग को हानि नही हुई और न ही निविदा क्रयकर्ता ठेकेदारो/फर्मो द्वारा इस पर कोई आपत्ति की गयी, जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदायें आमंत्रित की गयी किन्तु स्थलीय निरीक्षण एवं संबंधित उपजिलाधिकारियों की प्राथमिकता में जितनी मात्रा में सिविल कार्य से अलग धनराशि का विस्तृत

आंगणन में प्राविधान किया गया एवं जिस कार्य को करने की पात्रता सिविल फर्म/ठेकेदार नही रखते थे उन्हें बिल आफ क्वान्टिटी में समाहित नही किया गया जिससे आमंत्रित निविदा लागत एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आंगणन के सापेक्ष प्रस्तुत बिल आफ क्वान्टिटी की लागत में अन्तर परिलक्षित हुआ जो निविदा शर्तो में अंकित था। अपचारी अधिकारी का तर्क स्वीकार नही है स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए था कि विद्युतीकरण के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया तथा उसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया उसको बचाव उत्तर के साथ नही दिया गया है।

साक्ष्य के अभाव में अपचारी अधिकारी का कथन स्वीकार नही है। अपचारी अधिकारी सिविल कार्य के अतिरिक्त विद्युतीकरण पंखा इत्यादि का कार्य कराये जाने के संबंध में यह पुष्टि हेतु यह प्रमाण पत्र नही दिया गया है कि विद्युतीकरण का कार्य विद्युतीकरण हेतु पंजीकृत ठेकेदार से कराया गया है।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष -</u>

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन-</u>

जांच अधिकारी ने अपनी विवेचना में 3 तहसीलों, मोंठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा के उप जिलाधिकारियों द्वारा की गयी अपेक्षा एवं जिलाधिकारी द्वारा उनके अपेक्षानुसार कार्य कराने के निर्देश से संबंधित पत्र संलग्न न करने का उल्लेख करते हुये आरोप स्थापित होने का निष्कर्ष दिया गया है। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि विभाग में जांच अधिकारी द्वारा स्वयं अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को सभी निर्देश लिखित में नही दिये जाते है, वे स्वयं भी कई अवसरों पर मौखिक एवं दूरभाष पर भी निर्देश देते है। विभाग के साथ-साथ प्रदेश के अन्य विभागों में ही मौखिक एंव दूरभाष पर निर्देश दिये जाने तथा उसका अनुपालन की प्रक्रिया है। कतिपय क्षेत्र में तो यह प्रोटोकाल की श्रेणी में भी आता है।

जांच अधिकारी ने अपने विवेचना में यह उल्लेख किया है कि अपचारी अधिकारी का यह कथन स्वीकार योग्य है कि सिविल एवं इलेक्ट्रिकल का कार्य अलग-अलग होने से बिल आफ क्वान्टिटी कम हो गयी परन्तु दोनो की बिल आफ क्वान्टिटी प्रस्तुत करनी चाहिये थी। विवेचना में यह भी उल्लेख किया है कि सिविल कार्य के अतिरिक्त विद्युतीकरण, पंखा इत्यादि का कार्य कराये जाने के संबंध में यह पुष्टि हेतु यह प्रमाण पत्र नही दिया गया है कि विद्युतीकरण का कार्य विद्यतीकरण हेतु

पंजीकृत ठेकेदार से कराया गया है। इस संबंध में अवगत कराया है कि उनका कार्यकाल दि0 25-04-2017 तक रहा, जबकि तहसील मऊरानीपुर में भवन मरम्मत, सुदृढीकरण एवं अवस्थापना कार्य अनुबंध सं0-2 दिनांक 25-05-2017 है। इसी प्रकार गरौठा तहसील का अनुबंध सं0-3 दिनांक 25-05-2017 तथा मोठ तहसील का अनुबंध सं0-01 दि0 25-05-2017 है। आंगणन तैयार करने विषयक अपचारी अधिकारी के कार्यालय पत्र दिनांक 04-12-2016 की प्रति भी संलग्नकर प्रेषित है। उनके कार्यकाल में सिविल कार्य का अनुबंध ही गठित नही हुआ था। ऐसी स्थितिमें विद्युतीकरण का प्राक्कलन गठन एवं बी0ओ0क्यू0 प्रस्तुत किया जाना संभव ही नही था। जांच अधिकारी की विवेचना करते समय उक्त कार्यो की अनुबंध गठन की स्थिति एवं उनके कार्यकाल के संबंध में विचार करते हुये विवेचना में उल्लेख करना चाहिये था। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा आरोप के अनुरूप जांच न करते हुये, विवेचना में विद्युतीकरण का कार्य विद्युतीकरण हेतु पंजीकृत ठेकेदार से कराये जाने का प्रमाणपत्र का उल्लेख किया गया है। जब कार्य उनके द्वारा कराया ही नही गया तथा आरोप में इस आशय का आरोप भी नही है तब भी विवेचना में उपरोक्तानुसार इंगित जांच करना जांच अधिकारी की उनके प्रति द्वेष भावना अथवा अनुशासनिक जॉच कार्यवाही की सीमा की जानकारी न होना स्पष्ट करता है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस आरोप में आमंत्रित निविदा लागत से बिल आफ क्वांटिटी कम लागत की प्रसारित करने के लिये आरोपित किया गया है परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा खेद प्रकट करते हुये उल्लेख किया है कि जॉच अधिकारी ने आरोप से इतर विवेचना में सिविल कार्य एवं बिजली के कार्यो की बी0ओ0क्यू0 पृथक-पृथक न देने का उल्लेख करते हुये आरोप स्थापित होने का निष्कर्ष दिया गया जो सर्वथा अनुशासनिक जांच कार्यवाही के सिद्धान्त के विपरीत है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर तथा अभ्यावेदन में इंगित स्थिति से प्रमाणित है कि अपचारी अधिकारी के स्तर पर कोई

नियम विरूद्ध कृत्य नहीं किया गया है तथा न ही कोई शासकीय क्षति एवं देनदारी सृजित नहीं की गई। आरोप तथा जॉच अधिकारी की विवेचना एवं निष्कर्ष में यह उल्लेख नही किया है कि किस शासनादेश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार आमंत्रित निविदा लागत से कम लागत से बी0ओ0क्यू0 जारी नही किया जा सकता। अत: आरोप एवं जांच निष्कर्ष संगत नियमों के अंतर्गत न होने के परिदृश्य में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि इस आरोप से उन्हें मुक्त किया जाय।

अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त समस्त पॉचों आरोपो के संबंध में प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण, साक्ष्यों, नियमों तथा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होगें कि उनके द्वारा समस्त कार्य नियमानुसार पूर्ण निष्ठा, लगन तथा समयबद्ध सीमा में किये गये एवं किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया। अत: जॉच अधिकारी द्वारा विवेचना में ही विरोधाभासी कथनों को अंकित कर अन्त में सभी आरोपों में आरोप स्थापित होता है का निष्कर्ष दिया गया तथा किसी भी आरोप स्थापित करने का निष्कर्ष देने के पूर्व अपनी विवेचना में कहीं भी यह उल्लेख नही किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया गया है, से भी स्पष्ट है जांच आख्या साक्ष्यों, तथ्यों एवं संगत नियमों से परे होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप उनको मौखिक सुनवाई तथा प्रतिपरीक्षण का अवसर भी जॉच अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण दिया जाना उचित नही समझा गया। अत: अपचारी अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रस्तुत प्रमाणित तथ्यो के आलोक में आरोप मुक्त किया जाय।

3- अपचारी अधिकारी श्री वी0के0 दुबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये सभी आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन तथा अपचारी अधिकरारी के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा

शासकीय क्षति के संबंध में उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री वी0के0 दुबे द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित नहीं की गयी है, उनके द्वारा मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गयी है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/2017/1047/92-2-2017-23(जांच)/2017, दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा श्री विजय कुमार दुबे, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी सम्प्रति प्रखण्ड सहारनपुर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें उक्त अनियमितता हेतु **'परिनिन्दा'** का दण्ड देते हुए एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-200/2019/2884(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जांचअधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल।
3- श्री विजय कुमार दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी सम्प्रति प्रखण्ड सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।